कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक / एफ–5 / 1205 / 2022 / 10–11 / 585 भोपाल, दिनांक 07/02/2023

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल, सिंगरौली, मध्यप्रदेश।

विषयः– सिंगरौली जिले में बैढ़न–2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत ROW में भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु 2.6589 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित 3.1019 हेक्टेयर) वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बाबत्। (FP/MP/WATER/156031/2022)

संदर्भः– (1)इस कार्या का पत्र क्रमांक / एफ–5 / 1205 / 2022 / 10–11 / 4309 दि. 20.12.2022
(2)महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली का पत्र क्रमांक / 92 दिनांक 16.01.2023

–0–

उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में इस कार्यालय द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी। संदर्भित पत्र (2) द्वारा आवेदक संस्थान ने सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन पोर्टल में अपलोड कर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के अनुसार नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि रू. 25,46,641/- ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक 16.01.2023 को जमा कर दी गई है।

अतः प्रकरण में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन के आधार पर औपचारिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1- Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
3- User agency shall restrict the no felling of trees.
4- User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
5- The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
6- No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

7- The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

8- The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

9- Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.

उपरोक्तानुसार समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवेदक संस्थान से प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजें एवं आवेदक संस्थान को कार्य करने एवं क्षेत्र हस्तांतरण की अनुमति दी जावे।

7/2/2023

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ–5/1205/2022/10–11/586 भोपाल, दिनांक 07/02/2023

प्रतिलिपिः–

1– मुख्य वनसंरक्षक (क्षेत्रीय) रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।

2– महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित, परियोज़ना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7/2/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल